प्रेस विज्ञप्ति

सराहनीय कार्य जनपद एटा।

<u>एटा ~ थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में ठंडी रोटियां को लेकर हुए विवाद में ढाबा मालिक के गोली मार देने के मामले में वांछित चल रहे दो आरोपी घटना में प्रयुक्त दो लाईसेंसी पिस्टल सहित गिरफ्तार।</u>

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री सुनील कुमार सिंह के निर्देशन में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मुअसं- 896/20 धारा 394, 307, 386, 506 व 411 भादंवि में फरार चल रहे दो आरोपी युवकों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गया।

घटना:- दिनांक 24.12.2020 को वादी श्री अवध पाल सिंह निवासी ग्राम ओरनि थाना मारहरा एटा द्वारा थाना कोतवाली नगर पर इस आशय की सूचना दी गई कि वादी के चाचा अवधेश यादव पुत्र ऊदल सिंह जो ज्योति ढाबा चलाते हैं दिनांक 23/11/2020 को समय करीब 11:30 बजे वादी के चाचा ज्योति ढाबे पर मौजूद थे तभी दो लड़के बिना नम्बर की पल्सर मोटरसाइकिल पर आये और खाना पैक कराने की बोलने लगे और खाना पैक कराकर रोटियां ठंडी बताकर पैसे नहीं दिये जिसका विरोध करने पर अमित चौहान ने वादी के चाचा के ऊपर जान से मारने की नीयत से लाइसेंसी पिस्टल से फायर किया जो वादी के चाचा के दाहिनी जाँघ में लगा है। इस सूचना पर थाना कोतवाली नगर पर मुअसं- 896/20 धारा 394, 506, 307, 386 व 411 भादंवि पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी:- दिनांक 24.12.2020 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-896/2020 धारा 307, 386 व 411 में वांछित चल रहे आरोपी अभियुक्त कौस्तुब सिंह व अमित चौहान को मय लाईसेंसी पिस्टलों सहित गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना कोतवाली नगर पर आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर थानास्तर से आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

बरामदगी

1- दो लाईसेंसी पिस्टल व कारतूस .32 बोर

2- एक पल्सर मोटरसाइकिल बिना नम्बर प्लेट

गिरफ्तार अभियुक्तों का नामपताः-

1.अमित चौहान पुत्र विजेन्द्र चौहान निवासी नारायण नगर थाना कोतवाली नगर एटा।

2- कौस्तुब सिंह पुत्र संतोष कुमार निवासी उपरोक्त।